



# कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, भागलपुर



बिहार सरकार  
देव नारायण पंडित (बि.शि.से.)  
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी  
प्रांशो एवं सो शि० अ०. भागलपुर

बिहार शिक्षा परियोजना (समग्र शिक्षा अभियान),  
डायट कैम्पस, खिरनीघाट, बड़ी खंजरपुर, भागलपुर 812001 (बिहार)

पत्रांक **BEP/BGP/RTE/ PVT/File No. 1962 Part II / 545**  
प्रेषक,

दिनांक... 01.03.2021

संचालक / प्रबंधक / निदेशक / प्रधानाध्यापक,  
डिवाइन हैप्पी स्कूल, वारसलीगंज, छत्रपति तालाव रोड, भागलपुर।

विषय:- बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 की धारा-18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा के नियम-11, उप नियम-05 के विद्यालय की प्रस्वीकृति/नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र निर्गत करने के संबंध में।

महाशय/महाशया,

उपर्युक्त विषयक आपके द्वारा बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा के नियम-11, उपनियम-05 के अन्तर्गत विद्यालय की प्रस्वीकृति नवीनीकरण हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा दिये गये प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आलोक में अंकित करना है कि डिवाइन हैप्पी स्कूल, वारसलीगंज, छत्रपति तालाव रोड, भागलपुर को कक्षा 01 से कक्षा 08 तक के संचालन हेतु आगामी तीन वर्ष तक की अवधि के लिए विद्यालय की प्रस्वीकृति संख्या **BEP/BGP/RTE/PVT/002** को नवीकरण किया जाता है। अधोहस्ताक्षरी कार्यालय से किसी प्रकार के पत्राचार करने में आवंटित प्रस्वीकृति संख्या को अंकित एवं उद्धृत किया जाए।

प्रदत्त प्रस्वीकृति का नवीनीकरण पूर्व दिये गये निम्नांकित शर्तों के अनुपालन के अधीन होगी:-

1. प्रस्वीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा 08 तक की सीमा के बाहर/उपर मान्य नहीं होगी।
2. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 प्रावधानों का अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 01 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस/पोषक क्षेत्र के कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जाएगा।
4. उक्त कंडिका-03 में उद्धृत बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के धारा-12 की उपधारा-02 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति का दावा किया जा सकेगा। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग बैंक खाता का संधारण करेगा।
5. सोसाईटी/विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का कैपिटेशन फीस प्राप्त नहीं किया जाएगा तथा प्रवेश हेतु किसी भी बच्चे, उसके माता-पिता/अभिभावक का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं लिया जाएगा।
6. विद्यालय किसी बच्चे को नामांकन के समय उसके उम्र प्रमाण पत्र के अनुपलब्धता, नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर नामांकन से इंकार नहीं कर सकेगा।
7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जाएंगे:-  
क. किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोक कर नहीं रखा जाएगा और न ही किसी नामांकित बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जाएगा।  
ख. उक्त कंडिका-7 के संदर्भ में बिहार राज्य बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा (संशोधन) नियमावली 2019 एवं समय-समय पर RTE में यथा संशोधित प्रावधानों/नियमावली का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा। विद्यालय प्रबंधन से अपेक्षा है कि वे अलाभकारी बच्चों के चयन से संबंधित कार्यवाही संधारित करते हुए चयनित बच्चों की विवरणी यथा-आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बी0पी0एल कार्ड आदि अनिवार्य रूप से संधारित रखेंगे।

शिक्षा का अधिकारी




# कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, भागलपुर

(बि.शि.से.)  
पदाधिकारी  
शि० अ०, भागलपुर

बिहार शिक्षा परियोजना (समग्र शिक्षा अभियान),  
डायट कैम्पस, खिरनीघाट, बड़ी खंजरपुर, भागलपुर 812001 (बिहार)

पत्रांक BEP/BGP/RTE/ PVT/File No..1962...Pvt/D/545 दिनांक...01/03/21...

- ग. किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा।
  - घ. किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार की बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।
  - ङ. प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बच्चा को नियम 22 के आलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।
  - च. अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में दिव्यांग/विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन किया जाएगा। विद्यालय परिसर में अग्निशामक यंत्र एवं दिव्यांग बच्चों के लिए रैम्प की व्यवस्था अनिवार्य रूप से किया जाए।
  - छ. शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा-23 की उपधारा 01 में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जाएगा। सभी शिक्षक प्रशिक्षित होंगे। अप्रशिक्षित शिक्षकों से कार्य नहीं लिया जाएगा।
  - ज. विद्यालय के सभी शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 01 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे।
  - न. शिक्षक निजी स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण गतिविधि में संलग्न नहीं होंगे।
8. विद्यालय से राज्य सरकार द्वारा निर्धारित/प्रावधानित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्चा का अनुसरण अपेक्षित है।
  9. विद्यालय अधिनियम की धारा-19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा। पर्याप्त आधारभूत संरचना एवं सभी अनुमान्य सुविधाओं की उपलब्धता तथा उसके स्वच्छ एवं सुरक्षित रखने का दायित्व विद्यालय प्रबंधन का होगा।
  10. विद्यालय के नाम से कोई भी अप्रस्वीकृत वर्ग कक्ष विद्यालय परिसर में या बाहर संचालित नहीं होगा।
  11. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा।
  12. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निबंधित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।
  13. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।
  14. लेखा का अंकेक्षण एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपर्युक्त लेखा विवरणी तैयार की जाएगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष कार्यालय, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी(प्रारंभिक शिक्षा एवं समग्र शिक्षा अभियान), भागलपुर को अनिवार्य रूप से प्रेषित की जायेगी।
  15. राज्य सरकार, जिला प्रशासन, निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी(प्रा० शि० एवं सर्व शिक्षा अभियान), भागलपुर के द्वारा समय समय पर मांगे गए प्रतिवेदन एवं सूचनाएं, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रस्वीकृति की शर्तों के अद्यतन रूप से पूरा करने की सुनिश्चिता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाईयों को दूर करने हेतु समय समय पर जारी अनुदेशों का अनिवार्य रूप से अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा।
  16. यदि सोसाईटी के निबंधन के नवीनीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसकी अद्यतता अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाएगा। प्रति वर्ष ससमय विद्यालय द्वारा UDISE+ प्रपत्र भरा जाएगा एवं विद्यालय प्रबंधन, शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों के अनुश्रवण/निरीक्षण हेतु इन्कार नहीं कर सकेंगे।



# कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, भागलपुर



(बि.शि.से.)  
पदाधिकारी  
शि० अ०. भागलपुर

बिहार शिक्षा परियोजना (समग्र शिक्षा अभियान),  
डायट कैम्पस, खिरनीघाट, बड़ी खंजरपुर, भागलपुर 812001 (बिहार)

पत्रांक BEP/BGP/RTE/ PVT/File No..1962-Part II/545

दिनांक...01/03/21.....

17. आपदा-प्रबंधन की सुदृढ़ व्यवस्था करते हुए अध्ययनरत छात्र/छात्राओं की सुरक्षा की पूर्ण जिम्मेवारी विद्यालय प्रबंधन की होगी।
18. विद्यालय द्वारा संचालित/व्यवहृत सभी गाड़ियों में वैधानिक यातायात नियमों/परिवहन विभाग के प्रासंगिक प्रावधनों का अनुपालन सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी होगी।
19. विद्यालय द्वारा केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं अन्य वैधानिक संस्थाओं यथा NCPCR/SCPCR इत्यादि द्वारा दिये गये निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
20. RTE नार्म्स के अनुसार अनुपालन एवं प्रस्वीकृति नवीनीकरण हेतु उपलब्ध कराये गये घोषणा-पत्र/शपथ-पत्र/जानकारी/सूचना इत्यादि यदि असत्य या त्रुटियुक्त पाया गया तो उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व विद्यालय प्रबंधन का होगा और प्रस्वीकृति नवीनीकरण रद्द करने हेतु कार्रवाई पर विचार किया जाएगा।

विद्यालय प्रबंधन को अगर पूर्व में शर्तों के साथ प्रस्वीकृति प्रदान की गई हो तो एक माह के अंदर उसका अनुपालन (अद्यतन) प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से साक्ष्य सहित समर्पित कर देंगे। अन्यथा नवीनीकरण विखंडित करने की बाध्यता होगी।

विश्वासभाजन,

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,

प्रारंभिक शिक्षा एवं स० शि० अ०-सह-सदस्य सचिव,  
निजी विद्यालय प्रस्वीकृति समिति, भागलपुर।

